

फ़ेडरल-एज क्रेडिट कार्ड नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें फ़ेडरल बैंक लिमिटेड (“बैंक”) द्वारा अपने सह-ब्रांडिंग साझेदार अमिका नियो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (“ANMPL”) (“एज फ़ेडरल कार्ड नियम और शर्तें” या “नियम”) के साथ साझेदारी में जारी की गई क्रेडिट कार्ड सुविधा (“ एज फ़ेडरल कार्ड”) की पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करती हैं। कार्डधारक जुपिटर ऐप (अमिका फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (“AFTPL”/ “जुपिटर”) के स्वामित्व में) पर एज कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

कृपया एज-फ़ेडरल कार्ड का लाभ उठाने से पहले इन नियम को सावधानी से पढ़ें। एज फ़ेडरल कार्ड का लाभ उठाने का मतलब इन नियम की स्वीकृति होगी। ये शर्तें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं और अपडेट <https://jupiter.money/edge-cardmitc/> पर उपलब्ध होंगे।

इन नियम को मानमर्दन में नहीं, बल्कि एज- फ़ेडरल कार्ड के MITC (*इसके बाद परिभाषित*) के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। जिस सीमा तक एज-फ़ेडरल कार्ड के नियम और शर्तें, और MITC असंगत हैं, ये नियम एज फ़ेडरल कार्ड सुविधाओं के संबंध में प्रबल होंगे। यहां निहित कुछ भी MITC के खंडों को पूर्वाग्रह या प्रभावित नहीं करेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो MITC और इन नियम में है। बैंक और/या ANMPL, कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक और अपने विवेकानुसार, कम से कम 30 (तीस दिन) की पूर्व सूचना के साथ इनमें से किसी भी नियम को बदल या संशोधित कर सकते हैं। यदि कार्डधारक उपर्युक्त सूचना अवधि के अंतर्गत कार्ड बंद नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने इन नियम को स्वीकार कर लिया है।

परिभाषाएं:

1. “कार्डधारक” का अर्थ है कि आप जो जुपिटर ऐप पर एज फ़ेडरल कार्ड सुविधा का लाभ उठाते हैं और उन्हें जो एज-फ़ेडरल कार्ड जारी किया गया है।
2. “शुल्क” का अर्थ ऐसे शुल्क होंगे जो यहां पैराग्राफ़ XII में निर्धारित हैं या इन एज-फ़ेडरल कार्ड नियमों और शर्तों में कहीं भी उल्लिखित हैं।
3. “अनुग्रह अवधि” का अर्थ भुगतान अनुसूची में निर्धारित अनुग्रह अवधि से होगा।
4. “जुपिटर ऐप” का अर्थ एमिका फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाला जुपिटर मोबाइल एप्लिकेशन होगा।
5. “व्यापारी प्रतिष्ठान” का अर्थ कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जो एज फ़ेडरल कार्ड का सम्मान करता है और इसमें अन्य के अलावा स्टोर, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइंस, ATM और मेल ऑर्डर विज्ञापनदाता (चाहे खुदरा विक्रेता, वितरक या निर्माता हों) सहित नकद अग्रिम पॉइंट शामिल होंगे और इसमें ऐसे प्रतिष्ठान शामिल होंगे जो ऑनलाइन लेनदेन के लिए एज-फ़ेडरल कार्ड का सम्मान करते हैं।
6. “न्यूनतम देय राशि” या “MAD” का अर्थ वह न्यूनतम राशि है जिसे कार्डधारक को एज-फ़ेडरल कार्ड का लाभ उठाने के लिए योग्य होने हेतु भुगतान देय तिथि तक भुगतान करना होगा। न्यूनतम देय राशि जुपिटर द्वारा कार्डधारक को भेजे जाने वाले मासिक एज-फ़ेडरल कार्ड कथन में निर्धारित की जाएगी।
7. “MITC” का अर्थ है एज फ़ेडरल कार्ड पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए लागू शुल्कों की अनुसूची के साथ सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें वाला दस्तावेज़

(जैसा कि यहां अनुलग्नक 1 में प्रदान किया गया है)। ये शुल्क बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हैं। हालांकि, शुल्कों में ऐसे परिवर्तन केवल कार्डधारक को 30 दिन की पूर्व सूचना देते हुए ही प्रत्याशित प्रभाव से किए जा सकते हैं।

8. “भुगतान देय तिथि” का अर्थ भुगतान अनुसूची में निर्धारित तिथि से होगा।
9. “प्राचार्य” का अर्थ जुपिटर द्वारा कार्डधारक को भेजे जाने वाले मासिक एज फ़ेडरल कार्ड कथन में निर्धारित राशि से होगा।
10. “कुल देय राशि” या “TAD” का अर्थ मासिक एज-फ़ेडरल कार्ड कथन में उल्लिखित समग्र बकाया राशि है।

उपक्रम

इन एज-फ़ेडरल कार्ड नियमों और शर्तों से सहमत होकर, आप सहमत हैं कि आपने इन नियम को पढ़ा और समझा है, और हर समय इनसे बंधे रहने के लिए सहमत हैं। यदि आप जुपिटर ऐप के माध्यम से बैंक में बचत खाता रखते हैं, तो ये नियम जुपिटर के नियम और गोपनीयता नीति के अतिरिक्त हैं, जिन पर आपने जुपिटर ऐप पर बचत खाता खोलते समय सहमति व्यक्त की थी। जहां तक सहमत जुपिटर नियम और गोपनीयता नीति इन नियम के साथ असंगत हैं, ये नियम केवल एज-फ़ेडरल कार्ड सेवा के संबंध में ही लागू होंगे। बैंक (1) क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करके आवेदक की क्रेडिट योग्यता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जैसा कि वह आवश्यक समझे और (2) किसी भी आवेदक को अपने विवेकाधिकार पर कार्ड जारी करने से इनकार कर सकता है। यदि एज-फ़ेडरल कार्ड का आपका उपयोग जुपिटर (बैंक द्वारा प्राधिकृत) या बैंक द्वारा किसी भी कारण से निलंबित कर दिया जाता है, तो जुपिटर द्वारा इन नियम के तहत प्रदान की गई सेवाएं बिना किसी सूचना के तुरंत समाप्त हो जाएंगी, और न तो जुपिटर, न ही बैंक या उसके एजेंट,

सहयोगी, कर्मचारी, निदेशक या प्रतिनिधि, किसी भी (a) खोए हुए लाभ, सद्भावना या अवसर की हानि, या किसी भी प्रकार के विशेष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, दंडात्मक या परिणामी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे; (b) इसके या उनके उचित नियंत्रण से परे मामला, भले ही जुपिटर को उपरोक्त किसी भी नुकसान की संभावना की सलाह दी गई हो।

कार्ड सेवाएं

एज-फ़ेडरल कार्ड बैंक की संपत्ति है। एज-फ़ेडरल कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं, और इसका उपयोग यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों तथा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों के अधीन है।

1. कार्डधारक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्डधारक को भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले सभी शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. कार्डधारक के पास या तो (i) कुल देय राशि का भुगतान करने का विकल्प है; या (ii) न्यूनतम देय राशि का भुगतान करना; भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले, जैसा कि मासिक एज-फ़ेडरल कार्ड कथन में निर्धारित किया गया है। कार्डधारक के पास कुल देय राशि से अधिक भुगतान करने का विकल्प भी है, बशर्ते कि ऐसा भुगतान निर्धारित क्रेडिट सीमा के अतिरिक्त 50% से अधिक न हो।
3. यदि कार्डधारक अनुमत सीमा से अधिक खरीदारी करता है या नकद निकालता है या एज फ़ेडरल कार्ड पर अनुमत सीमा से अधिक लेनदेन करता है, तो बैंक और/या उसके प्राधिकृत सेवा प्रदाता कार्डधारक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति किसी भी दायित्व के बिना विशिष्ट लेनदेन को अस्वीकार कर सकते हैं।

ब्याज शुल्क और भुगतान

1. यदि कार्डधारक न्यूनतम देय राशि या भुगतान देय तिथि तक कुल देय राशि से कम राशि का भुगतान करने का विकल्प चुनता है तो खरीद की तिथि से कुल बकाया राशि पर और बाद में की जाने वाली किसी भी नई खरीद पर ब्याज राशि लगाई जाएगी। साथ ही, नीचे दी गई भुगतान अनुसूची में निर्धारित दर पर आगामी भुगतान तिथि तक ब्याज राशि लगाई जाएगी।
2. यदि कार्डधारक द्वारा भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो विलंबित भुगतान शुल्क (नीचे फ़ीस और शुल्क की अनुसूची में निर्धारित दरों पर) लागू (बकाया देय राशि पर) होंगे।
3. कार्डधारक द्वारा भुगतान की गई कोई भी न्यूनतम देय राशि या कुल देय राशि का भाग, भुगतान देय तिथि के बाद ब्याज और/या विलंबित भुगतान शुल्क (यदि लागू हो) आकर्षित करना बंद कर देगा, यदि वह बैंक द्वारा कार्डधारक से प्राप्त किया गया है, जो कि यहां बताए गए नियम के अधीन है।
4. यदि कार्डधारक अनुग्रह अवधि के अंतर्गत न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भुगतान अनुसूची के अंतर्गत ब्याज राशि लगाई जाएगी और कार्डधारक अपने रिवाँड को रिडीम करने का अधिकारी नहीं होगा और अनुग्रह अवधि की समाप्ति की ऐसी डिफ़ॉल्ट तिथि से रिवाँड की आगे की कमाई रोक दी जाएगी।
5. यदि कार्डधारक द्वारा देय न्यूनतम राशि का भुगतान देय तिथि से 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए लेकिन 60 दिनों से कम समय तक नहीं किया

जाता है, तो बैंक एज फ़ेडरल कार्ड पर कार्डधारक द्वारा आरंभ किए गए किसी भी/सभी लेनदेन को अस्वीकार कर सकता है।

6. यदि भुगतान देय तिथि से 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक कार्डधारक द्वारा आरंभ किए गए डेबिट लेनदेन को अस्वीकार कर देगा।
7. यदि कार्डधारक अनुग्रह अवधि की समाप्ति तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक को कार्डधारक के प्रति किसी भी दायित्व के बिना, एज-फ़ेडरल कार्ड को रद्द करने का अधिकार होगा।
8. कार्डधारक सभी देय राशि की वसूली में होने वाली सभी लागत (कानूनी लागतों सहित) का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। संबंधित और आकस्मिक मामलों के लिए बैंक द्वारा किए गए सभी शुल्क, जिसमें किसी भी देय राशि हेतु संग्रह शुल्क के लिए शुल्क और कानूनी कार्रवाई आरंभ होने की स्थिति में, सभी कानूनी व्यय और ब्याज के साथ राशि शामिल है।

बिलिंग

1. कार्डधारक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से भुगतान करने में सक्षम होगा।
2. उनके फ़ेडरल बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाएगा। यह ऑटो-डेबिट भुगतान की देय तिथि को सुबह 10 बजे आरंभ किया जाएगा
3. उनके फ़ेडरल बैंक खाते से बैंक हस्तांतरण
4. जुपिटर ऐप में जोड़े गए किसी भी VPA से UPI भुगतान (₹2 लाख तक)

5. कार्डधारक को SMS और ईमेल के ज़रिए भेजे गए अद्वितीय भुगतान लिंक का उपयोग करके किसी भी बैंक खाते के डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ज़रिए
6. तीसरे पक्ष के भुगतान प्रदाताओं पर भुगतान के ज़रिए
7. सभी कार्डधारक को भुगतान अनुसूची के अनुसार एज फ़ेडरल कार्ड के उपयोग के लिए मासिक आधार पर बिल भेजा जाएगा। बिलिंग चक्र को नीचे दिए गए उदाहरणों के आधार पर चित्रित किया गया है-

चक्र अवधि	कथन निर्माण तिथि	भुगतान देय तिथि	3 दिन की अनुग्रह अवधि	ब्याज लगाए जाने वाले दिन की तिथि	देर से किए गए भुगतान के लिए शुल्क
1 मई - 31 मई	1 जून	15 जून	16 से 18 जून	16 जून	यदि न्यूनतम देय राशि 18 जून (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
6 मई से 5 जून	6 जून	20 जून	21 से 23 जून	21 जून	यदि न्यूनतम देय राशि 23 जून (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
11 मई से 10 जून	11 जून	25 जून	26 से 28 जून	26 जून	यदि न्यूनतम देय राशि 28 जून (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा

19 मई से 18 जून	19 जून	3 जुलाई	4 से 6 जुलाई	4 जुलाई	यदि न्यूनतम देय राशि 6 जुलाई (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
21 मई से 20 जून	21 जून	5 जुलाई	6 से 8 जुलाई	6 जुलाई	यदि न्यूनतम देय राशि 8 जुलाई (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा
26 मई से 25 जून	26 जून	10 जुलाई	11 से 13 जुलाई	11 जुलाई	यदि न्यूनतम देय राशि 13 जुलाई (रात 11:59 बजे) तक जमा नहीं की जाती है, तो अगले कथन में यह शुल्क लगाया जाएगा

8. कार्डधारक किसी भी समय अपने बिलिंग चक्र को संशोधित करने के अधिकारी हो सकते हैं। एक बार जब कार्डधारक अपने बिलिंग चक्र को संशोधित करने का विकल्प चुनता है, तो वर्तमान बिलिंग चक्र के पूरा होने के बाद नया बिलिंग चक्र प्रभावित होगा और कार्डधारक के अगले बिलिंग चक्र में उचित समायोजन किया जाएगा। बिलिंग चक्र में परिवर्तन की सूचना कार्डधारक को एक बार प्रभावी रूप से दी जाएगी।

कार्ड सक्रियण

1. कार्डधारक के पास एज फ़ेडरल कार्ड के सक्रियण के समय एज-फ़ेडरल कार्ड पर ऑनलाइन लेनदेन (घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय) सक्षम करने का विकल्प होगा।
2. यदि कार्डधारक सक्रियण की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंतर्गत घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लेनदेन के लिए एज-फ़ेडरल कार्ड को सक्षम करने में विफल रहता है, तो कार्डधारक को एक बार के पासवर्ड प्रमाणीकरण द्वारा इसे फिर से प्रमाणित करना होगा।
3. यदि कार्डधारक अपने जनरेशन की तिथि से 7 दिनों की अवधि के अंतर्गत एक बार के पासवर्ड को दर्ज करने में विफल रहता है, तो बैंक के विवेक के अनुसार एज-फ़ेडरल कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
4. कार्डधारक को जुपिटर ऐप पर निम्नलिखित तरीकों से घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय POS, घरेलू ATM और घरेलू संपर्क रहित भुगतान के लिए एज-फ़ेडरल कार्ड को सक्षम करने का अधिकार होगा:
5. कार्डधारक अपने स्वागत किट पर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कार्डधारक को जुपिटर ऐप पर किसी डीप लिंक पर ले जाएगा और इसे जुपिटर ऐप पर सक्षम किया जा सकता है; या
6. एज-फ़ेडरल कार्ड की सफल डिलीवरी के बाद, कार्डधारक निर्धारित प्रमाणीकरण प्रवाह का पालन करने के बाद POS, ATM और संपर्क रहित भुगतान विकल्पों को सक्षम करने के लिए इन-ऐप विकल्प का चयन कर सकता है
7. जुपिटर ऐप पर कार्डधारक दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए सेवा बिंदु, ATM निकासी, संपर्क रहित भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन के विभिन्न तरीकों को सक्षम करने में सक्षम होगा।

8. कार्डधारक चेहरे की पहचान या मोबाइल बैंकिंग व्यक्तिगत पहचान संख्या (MPIN) या जुपिटर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पहचान विधि का उपयोग करके जुपिटर ऐप तक पहुंच सकेगा।
9. एज-फ़ेडरल कार्ड का उपयोग करने के लिए कार्डधारक को किसी व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) बनाना आवश्यक होगा। कार्डधारक नया PIN बनाकर और सत्यापित करके अपना PIN रीसेट कर सकता है।

भौतिक कार्ड की डिलीवरी

1. कार्डधारक के लिए एज-फ़ेडरल कार्ड सुविधाओं का उपयोग करने हेतु भौतिक एज फ़ेडरल कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य नहीं होगा।
2. यदि कार्डधारक कोई भौतिक एज-फ़ेडरल कार्ड रखना चाहता है, तो कार्डधारक भौतिक एज-फ़ेडरल कार्ड के लिए अनुरोध कर सकता है, जिसे एज-फ़ेडरल कार्ड ऑर्डर करते समय जुपिटर के साथ रजिस्टर किए गए पते पर डिलीवर किया जाएगा।

ब्लॉक / फ्रीज़ / स्लीप मोड

1. यदि एज-फ़ेडरल कार्ड गुम हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोरी हो जाता है या यदि कार्डधारक किसी भी कारण से एज-फ़ेडरल कार्ड को ब्लॉक करना चाहता है, तो कार्डधारक ब्लॉकिंग के कारणों को निर्दिष्ट करने के साथ जुपिटर ऐप या IVR के माध्यम से ऐसा कर सकता है, और कार्डधारक के ब्लॉकिंग अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।

2. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि एक बार एज-फ़ेडरल कार्ड ब्लॉक हो जाने के बाद, इसे अनब्लॉक नहीं किया जा सकता और एक नया कार्ड पुनः जारी करना होगा।
3. कार्डधारक एज-फ़ेडरल कार्ड को फ्रीज़ कर सकता है जो अस्थायी रूप से किसी भी कार्ड लेनदेन को तब तक रोक देगा जब तक कि जुपिटर ऐप पर नियंत्रण बंद न हो जाए।
4. कार्डधारक जुपिटर ऐप पर स्लीप मोड सक्षम कर सकता है, जो दिन में चयनित समय सीमा के लिए लेनदेन को ब्लॉक कर देगा।

कार्ड को पुनः जारी करना

1. कार्डधारक ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से, बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर से एज-फ़ेडरल कार्ड पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकता है।
2. यदि कोई बकाया राशि देय है, तो कार्डधारक को एज-फ़ेडरल कार्ड को पुनः जारी करने से पहले बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
3. यदि बैंक द्वारा एज-फ़ेडरल कार्ड को धोखाधड़ी के कारण ब्लॉक कर दिया गया है, तो कार्डधारक को जुपिटर इसकी सूचना देगा और कार्डधारक एज-फ़ेडरल कार्ड को पुनः जारी करने के लिए जुपिटर सपोर्ट से संपर्क कर सकता है। यदि कार्डधारक द्वारा देय बकाया राशि है और धोखाधड़ी के कारण बैंक और/या जुपिटर द्वारा कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, तो कार्डधारक को सबसे पहले बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

दैनिक सीमा निर्धारित करना

कार्डधारक को जुपिटर ऐप पर सेवा केंद्र, ATM नकद निकासी, ऑनलाइन लेनदेन और संपर्क रहित भुगतान के लिए सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा, जो निम्नलिखित हेतु नीचे निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी:

चैनल	अधिकतम सीमा (INR)	डिफॉल्ट सीमा (INR)
POS	5,00,000	5,00,000
ऑनलाइन लेनदेन	5,00,000	5,00,000
ATM नकद निकासी	नकद सीमा अर्थात क्रेडिट सीमा का 20%	नकद सीमा अर्थात क्रेडिट सीमा का 20%
संपर्क रहित भुगतान	5,00,000	5,00,000 (5000 से अधिक के किसी भी लेनदेन को एक बार के पासवर्ड के माध्यम से प्रमाणित करना आवश्यक होगा)

एज-फ़ेडरल कार्ड का बंद होना

1. कार्डधारक जुपिटर ऐप पर रद्द करने का कारण प्रदान करने के बाद एज-फ़ेडरल कार्ड को बंद करने का विकल्प चुन सकता है। बंद करने के अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते कि सभी बकाया राशि, यदि कोई हो तो उसका भुगतान एज-फ़ेडरल कार्ड के बंद होने से पहले कर दिया जाए।
2. कार्डधारक सहमत है और स्वीकार करता है कि एक बार कार्ड बंद हो जाने के बाद पुनः जारी नहीं किया जा सकता है और कार्डधारक को नए एज-फ़ेडरल कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

3. यदि कार्डधारक सक्रियण की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंतर्गत घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लेनदेन के लिए एज-फ़ेडरल कार्ड को सक्षम करने में विफल रहता है, तो कार्डधारक को एक बार के पासवर्ड प्रमाणीकरण द्वारा इसे फिर से प्रमाणित करना होगा। इसके अलावा, यदि कार्डधारक अपने जनरेशन की तिथि से 7 दिनों की अवधि के अंतर्गत एक बार के पासवर्ड को दर्ज करने में विफल रहता है, तो बैंक और/या जुपिटर के विवेक के अनुसार एज फ़ेडरल कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

रिवॉर्ड प्रोग्राम

1. आपको योग्य एज-फ़ेडरल कार्ड लेनदेन (न्यूनतम लेनदेन राशि ₹100 है) पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 पर स्वचालित रूप से 2 ज्वेल्स प्राप्त होंगे। ये रिवॉर्ड आपके कार्ड के साथ आते हैं और इनके लिए किसी अतिरिक्त सदस्यता शुल्क की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रति बिलिंग चक्र अधिकतम 15000 ज्वेल्स प्राप्त कर सकते हैं।
2. नकद में ज्वेल्स का प्रतिदेय मूल्य 5 ज्वेल्स के अनुसार = ₹1 है
3. आप अपनी पसंद की श्रेणी से संबंधित व्यापारियों पर योग्य एज-फ़ेडरल कार्ड लेनदेन (₹100 की न्यूनतम लेनदेन राशि पर) पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 पर 10 ज्वेल्स का लाभ उठा सकते हैं। खरीदे गए बूस्टर पैक के प्रकार के आधार पर आप प्रति बिलिंग चक्र 15,000 ज्वेल्स तक कमा सकते हैं।
4. श्रेणी व्यापारियों की योग्यता पूरी तरह से कार्ड नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए व्यापारी श्रेणी कोड (MCC) पर निर्भर करती है

5. डिजिटल गोल्ड के नियमों और शर्तों की आपकी स्वीकृति के अधीन, ज्वेल्स को जुपिटर ऐप पर डिजिटल गोल्ड के रूप में या आपके फ़ेडरल बैंक खाते में नकदी के रूप में रिडीम किया जा सकता है।
6. एज-फ़ेडरल कार्ड के लिए अर्जित ज्वेल्स की कमाई और मोचन आपके नवीनतम बिल के लिए न्यूनतम देय राशि के भुगतान पर निर्भर है। यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिदान के लिए चक्र में प्राप्त कोई भी ज्वेल्स लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जब तक न्यूनतम देय राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ज्वेल्स की कमाई रोक दी जाएगी।
7. आपके एज फ़ेडरल कार्ड खाते में क्रेडिट या डेबिट किए गए ज्वेल्स जुपिटर ऐप पर दिखाई देंगे। आप अपने द्वारा एकत्रित किए गए ज्वेल्स को जुपिटर ऐप पर भी देख सकते हैं।
8. बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL को एज-फ़ेडरल कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रिवॉर्ड पॉइंट, रूपांतरण दर, प्रदान किए गए ज्वेल्स की निकासी को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
9. यदि एज-फ़ेडरल कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम किसी नियम, विनियमन या ऑर्डर या किसी सांविधिक प्राधिकारी के विरोध में आता है, तो उक्त आवश्यकताओं को प्रभावी करने के लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम को संशोधित या रद्द किया जा सकता है।
10. ज्वेल्स की वैधता अवधि समाप्त नहीं होती है और आजीवन वैधता होती है, नीचे दी गई परिस्थितियों को छोड़कर:

- a. यदि एज-फ़ेडरल कार्ड का उपयोग 365 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो अर्जित ज्वेल्स को रद्द कर दिया जाएगा।
- b. यदि उपयोगकर्ता 90 दिनों के लिए अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो अर्जित कोई भी ज्वेल्स समाप्त हो जाएगा।
- c. बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL के पास अर्जित ज्वेल्स को रद्द या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि एज-फ़ेडरल कार्ड खाता बकाया, निलंबित या डिफ़ॉल्ट में है या यदि एज-फ़ेडरल क्रेडिट कार्ड खाता धोखाधड़ी से संचालित किया जा रहा है या ऐसा होने का उचित संदेह है।
- d. कार्डधारक की मृत्यु की स्थिति में, अर्जित किए गए लेकिन उस समय रिडीम नहीं किए गए ज्वेल्स ज़ब्त कर लिए जाएंगे।
- e. यदि कोई लेनदेन रिफंड/चार्जबैक/प्रतिपूर्ति के माध्यम से उलट दिया जाता है, तो लेनदेन राशि आपके एज-फ़ेडरल क्रेडिट कार्ड खाते में वापस जमा की जाएगी। ऐसे उदाहरण में, उन लेनदेन पर अर्जित ज्वेल्स को समग्र ज्वेल्स शेष से कम कर दिया जाएगा।
- f. एज-फ़ेडरल कार्डधारकत्व के बंद होने/समाप्ति पर, कार्डधारक के खाते में दावा किए जाने वाले किसी भी ज्वेल खर्च को ज़ब्त कर लिया जाएगा।
- g. यदि आपको प्रदान किए गए उत्पादों / सेवाओं का कोई आपूर्तिकर्ता उन उत्पादों / सेवाओं को वापस लेता है, रद्द करता है, बदलता है या संशोधित करता है, तो बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL जिम्मेदार नहीं होगा।
- h. बैंक द्वारा प्राधिकृत AFTPL, जुपिटर एज-फ़ेडरल रिवॉर्ड प्रोग्राम में भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों / सेवाओं की गुणवत्ता के लिए कोई वारंटी नहीं देता है।

- i. बैंक के नेटवर्क भागीदारों द्वारा निर्धारित निम्नलिखित व्यापारी श्रेणी कोड ("MCC") के अंतर्गत वर्गीकृत कुछ व्यापारी श्रेणियों के लिए ज्वेल्स प्रदान नहीं किए जाते हैं। यह सूची इस प्रकार है-

MCC	MCC विवरण
5816	डिजिटल सामान: गेम
5933	ब्याजखोर की दुकान
5935	रेकिंग और बचाव यार्ड
6010	वित्तीय संस्थान मैनुअल नकद भुगतान
6011	वित्तीय संस्थाओं ने नकद भुगतान को स्वचालित किया
6012	वित्तीय संस्थाएं - व्यापार, सेवाएं और ऋण चुकौती
6051	गैर-वित्तीय संस्थाएं - विदेशी मुद्रा, गैर-फ़िएट मुद्रा (उदाहरण के लिए: क्रिप्टोकॉर्सेसी), मनी ऑर्डर (धन हस्तांतरण नहीं), खाता निधि (संग्रहित मूल्य लोड नहीं), यात्री चेक और ऋण चुकौती
6211	प्रतिभूति दलाल और डीलर
6540	गैर-वित्तीय संस्थान - संग्रहित मूल्य कार्ड खरीद/लोड
7995	सट्टेबाज़ी, जिसमें लॉटरी टिकट, कैसीनो गेमिंग चिप, ऑफ़-ट्रैक सट्टेबाज़ी और रेसट्रैक पर दांव शामिल हैं
8651	राजनीतिक संगठन
8661	धार्मिक संगठन
9211	कोर्ट की लागत, जिसमें निर्वाह-व्यय और बाल सहायता शामिल है
9223	ज़मानत और बॉन्ड भुगतान
7800	सरकारी स्वामित्व वाली लॉटरी
7801	सरकारी लाइसेंस प्राप्त ऑन-लाइन कैसीनो (ऑन-लाइन जुआ)

7802	सरकारी लाइसेंस प्राप्त घोड़ा/कुत्ता दौड़
9222	जुर्माना
4829	धन हस्तांतरण
6513	रियल एस्टेट एजेंट और प्रबंधक
5983	ईंधन डीलर - ईंधन तेल, लकड़ी, कोयला और तरलित पेट्रोलियम

धोखाधड़ी का उचित संदेह होने पर बैंक किसी भी व्यापारी पर ज्वेल्स की कमाई को रोक सकता है।

लाउंज का उपयोग

आप हर 3 महीने में 1 बार घरेलू लाउंज का लाभ उठा सकते हैं। लाउंज में प्रवेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के आधार पर दिया जाएगा

1. पिछले 3 महीनों में न्यूनतम ₹90,000 के योग्य व्यय पर
2. लाउंज में प्रवेश करने के लिए वाउचर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल id पर भेजा जाएगा।
3. वाउचर को किसी भी योग्य घरेलू लाउंज में रिडीम किया जा सकता है
4. वाउचर जारी होने की तिथि से 3 महीने तक मान्य रहेगा

फ़ीस और शुल्क

1. एज-फ़ेडरल कार्ड पर 999 रुपये का वार्षिक शुल्क लागू होगा, जिसे दूसरे महीने से कार्डधारक के कथन में जोड़ दिया जाएगा। जब तक कार्डधारक ने इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से इसे बंद न किया हो, तब तक एज-फ़ेडरल कार्ड को स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जाएगा। भौतिक एज-फ़ेडरल कार्ड के

प्रतिस्थापन के लिए 249 रुपये का शुल्क लागू होगा, जिसे प्रतिस्थापन अनुरोध स्वीकार किए जाने के बाद अगले चक्र के लिए कार्डधारक के कथन में जोड़ा जाएगा। एक बार प्रतिस्थापन हेतु अनुरोध किए जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा और फ़ीस वापस नहीं ली जाएगी।

2. चयनित रिवाँर्ड पैक पर एकमुश्त फ़ीस लागू होगी जिसे अगले चक्र के लिए कार्डधारक के कथन में जोड़ा जाएगा।
3. सभी वैधानिक कर, वस्तु एवं सेवा कर (GST) और अन्य कर (किसी भी विवरण के) जो सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा एज फ़ेडरल कार्ड के संबंध में या उससे संबंधित समय-समय पर लगाए जा सकते हैं, वे कार्डधारक से वसूले जाएंगे।

देय राशि का संग्रह

1. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि देय होने पर भुगतान करने में विफल रहने पर, बैंक बिना किसी पूर्वाग्रह के इन नियम, MITC और/या लागू कानूनों में उपलब्ध अपने सभी या किसी भी अधिकार और उपचार का प्रयोग करेगा।
2. यदि कार्डधारक भुगतान देय तिथि से कम से कम 3 दिन के भीतर न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक के ज़रिए कार्डधारक को RBI द्वारा प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) को बकायादार के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करने पर एज-फ़ेडरल कार्ड सेवाएं भी बंद हो सकती हैं।
3. एक बार क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) को रिपोर्ट करने के बाद, रिपोर्ट को वापस नहीं लिया जाता है। हालांकि, यदि आपके द्वारा देय राशि का निपटान किया जाता है, तो यह जानकारी अगले महीने में क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) के साथ साझा करने के लिए बैंक को प्रदान की जाएगी।

4. डिफॉल्ट की स्थिति में, आपको किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए पोस्ट, टेलीफोन, ईमेल, SMS द्वारा अनुस्मारक भेजा जाएगा। यदि नियमित चैनल के द्वारा आपसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो आपको याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और बकाया राशि वसूलने के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया जा सकता है।
5. आप अपने पति-पत्नी / माता-पिता / अन्य प्रत्यक्ष वयस्क पारिवारिक सदस्य / सचिव / लेखाकार / अन्य सहकर्मी, जो भी उपलब्ध हो, उनके पास अपने निवास / कार्यालय / फ़ोन पर संदेश छोड़ सकते हैं। नियुक्त किया गया कोई भी तीसरा पक्ष ऋण वसूली संबंधी आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेगा।

कार्ड टोकन प्रबंधित करें

कार्डधारक अपने सभी सहेजे गए कार्ड टोकन देख सकते हैं। टोकन को निलंबित करने, पुनः शुरू करने और हटाने का विकल्प भी मौजूद है।

देयता

बैंक और/या जुपिटर को उपलब्ध उपचारों और इन नियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक और/या बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर, कार्डधारक के प्रति किसी भी प्रकार से निम्नलिखित के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए दायित्व नहीं होंगे:

1. आपूर्ति किए गए किसी भी सामान या सेवाओं में कोई दोष।
2. किसी भी व्यक्ति/ व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा एज-फ़ेडरल कार्ड को मानने या स्वीकार करने से इंकार करना।

3. किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल की खराबी।
4. कार्डधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेनदेन संबंधी निर्देश देना।
5. आपके द्वारा अपना एज-फ़ेडरल कार्ड बैंक और/या उसके प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य को सौंपना;
- 6 बैंक और/या बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर, एज-फ़ेडरल कार्ड पर वर्णित समाप्ति तिथि से पहले एज-फ़ेडरल कार्ड के समर्पण की मांग करने और उसे प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे।
7. बैंक और/या किसी भी एज-फ़ेडरल कार्ड और संबंधित कार्ड खाते को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना; या
8. आपके क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट जो एज-फ़ेडरल कार्ड के कब्जे और/या, इसकी वापसी के लिए कोई भी अनुरोध या एज फ़ेडरल कार्ड को सम्मानित करने या स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान के इनकार के कारण हुई है।

आप स्वीकार करते हैं कि एज-फ़ेडरल कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपके द्वारा प्रदान किए गए पंजीकृत मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल पर अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा, बैंक और/या बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर के ज़रिए नियुक्त सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और सेवाओं पर निर्भर है या अन्यथा।

कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर के ज़रिए भेजे गए अलर्ट की समय सीमा, सटीकता और पठनीयता, बैंक द्वारा प्राधिकृत या अन्यथा जुपिटर के ज़रिए नियोजित अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक पर निर्भर करेगी। बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर आपको अलर्ट के संचरण में अलर्ट, त्रुटि, हानि या विकृति के गैर-डिलीवरी या देरी से डिलीवरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

सिस्टम की विफलता या बैंक के नियंत्रण में खराबी के कारण आपको होने वाले प्रत्यक्ष नुकसान के लिए बैंक ज़िम्मेदार होगा। हालांकि, लेनदेन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के हेतु हमारी ज़िम्मेदारी वर्तमान में लागू कानूनों के अधीन मूल राशि और ब्याज की हानि तक सीमित है।

खुलासे

1. बैंक क्रेडिट जानकारी साझा करेगा, जिसमें एज-फ़ेडरल कार्ड से जुड़ी वर्तमान शेष, ऋण / EMI सुविधाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं
क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, RBI द्वारा प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी (CIC) के पास एज-फ़ेडरल कार्ड / ऋण, भुगतान इतिहास आदि पर बकाया शेष राशि, (यदि लागू हो और/या प्राप्त की गई हो)।
2. बैंक के पास सभी विनियामक नियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों के पालन के लिए सभी ज़िम्मेदारी है, जिसमें बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश या RBI द्वारा जारी NBFC शामिल हैं। बैंक के प्राधिकार के तहत जुपिटर RBI द्वारा जारी बैंक के ज़रिए वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देश के उल्लंघन में कोई सेवा प्रदान नहीं करता है।
3. प्राप्त लेनदेन अलर्ट को लेनदेन पूरा होने की पुष्टि के रूप में नहीं माना जा सकता है।
4. यदि आप अन्य उत्पादों के लिए जुपिटर से कोई मार्केटिंग कॉल प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमें support@jupiter.money पर कोई ईमेल भेजकर अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं और साथ ही, सदस्यता समाप्त लिंक के माध्यम से

प्रचार/मार्केटिंग ईमेल से ऑफ्ट-आउट कर सकते हैं जो ऐसे ईमेल में प्रदान किया जाएगा।

5. आपको एज-फ़ेडरल कार्ड के लेनदेन और मुख्य विशेषताओं के बारे में संचार प्राप्त होते रहेंगे।

वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता

1. बैंक और/या बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर किसी भी तरह से आपके द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खरीदे गए या प्राप्त किए गए माल, माल वारंटी या सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जिसमें डिलीवरी में देरी, गैर-डिलीवरी, सामान की प्राप्ति न होना या आपके द्वारा दोषपूर्ण सामान की प्राप्ति शामिल है।
2. एज-फ़ेडरल कार्ड विशुद्ध रूप से आपके लिए सामान खरीदने और/या सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा है, और बैंक और/ या जुपिटर कोई वारंटी नहीं रखता है या माल की गुणवत्ता, डिलीवरी या अन्यथा के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
3. माल या सेवा के संबंध में किसी भी विवाद या दावे को आपके द्वारा सीधे व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए। दावे या विवाद की मौजूदगी से आपको बैंक को सभी शुल्क का भुगतान करने के आपके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और आप ऐसे शुल्क का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

क्रेडिट लेनदेन

1. खरीद के लिए डेबिट और सामान / सेवाओं के रद्दीकरण के लिए क्रेडिट को दो अलग लेनदेन माना जाता है। किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने हेतु आपको खरीदारी लेनदेन के लिए उसी प्रकार भुगतान करना होगा जैसा कि एज-फ़ेडरल कार्ड कथन में दिखाया गया है।
2. रद्द करने पर, धनवापसी केवल कार्ड खाते (रद्दीकरण शुल्क कम करके) में क्रेडिट की जाएगी जब बैंक के ज़रिए प्राधिकृत जुपिटर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्ड खाते में क्रेडिट पोस्ट नहीं किया जाता है, तो आप ईमेल या फ़ोन के माध्यम से जुपिटर को सूचित कर सकते हैं।
3. किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए कार्डधारक को एज फ़ेडरल कार्ड कथन में बिल किए गए लेनदेन के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि उन्हें बिल का भुगतान करने से पहले कोई आवक लेनदेन (धनवापसी, रिवर्सल, छूट या चार्जबैक) प्राप्त होते हैं, तो ये लेनदेन पहले अंतिम कथन के कारण कुल राशि की भरपाई करेंगे।
4. यदि कोई बिल राशि देय नहीं है, तो इस राशि को उनके वर्तमान बकाया में समायोजित कर दिया जाएगा। यदि कार्ड पर कोई बकाया राशि नहीं है, तो हम आवक लेनदेन को केवल 5000 रुपये या कार्डधारक की क्रेडिट सीमा का 1% (जो भी कम हो) तक समायोजित करेंगे, और किसी भी अतिरिक्त शेष राशि को उनके निर्दिष्ट बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा।

विदेशी देश/मुद्रा में किए गए लेनदेन

1. विदेश में अपने एज-फ़ेडरल कार्ड का उपयोग करते समय, आप समय-समय पर RBI द्वारा जारी और संशोधित प्रासंगिक विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार इसका कठोरता से उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं।
2. यदि आप RBI के विनिमय नियंत्रण दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी पात्रता से अधिक व्यय करते हैं, तो आप ईमेल के माध्यम से बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर की सूचना में लाएंगे। यदि RBI द्वारा निर्धारित ऐसे किसी भी शुल्क के लिए पासपोर्ट पृष्ठांकन किया जाना आवश्यक है, तो पासपोर्ट पृष्ठांकन प्राप्त करने का दायित्व पूरी तरह से कार्डधारक पर होगा।
3. RBI द्वारा जारी प्रचलित विनिमय नियंत्रण दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, कार्डधारक समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा और उसे बैंक और/या जुपिटर (जैसा कि बैंक द्वारा प्राधिकृत है) या RBI द्वारा क्रेडिट कार्ड सुविधा से वंचित किया जाएगा।
4. बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक और/ या जुपिटर को आपके ज़रिए अपनी पात्रता से अधिक व्यय करने की जानकारी होने पर, बैंक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर बैंक और/ या जुपिटर, समय-समय पर जारी किए गए RBI दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा अधिकार से अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
5. यदि कोई लेन-देन भारतीय रुपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो उस लेन-देन को भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा और आपके कथन में दिखाया जाएगा।

रूपांतरण उस दिनांक को होगा जिस दिन लेन-देन का सेटलमेंट बैंक के साथ किया गया है, जो कि उसी दिनांक को नहीं हो सकता है जिस दिन लेन-देन किया गया था।

6. यदि लेनदेन अमेरिकी डॉलर (USD) में नहीं है, तो रूपांतरण अमेरिकी डॉलर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चार्ज की गई राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा और फिर अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रुपये (INR) में परिवर्तित किया जाएगा, जो निपटान तिथि पर VISA द्वारा प्रदान की गई दर पर होगी। इस राशि पर विदेशी मुद्रा मार्कअप फ़ीस लगाई जाएगी।
7. भारत से बाहर स्थित किसी व्यापारी या भुगतान गेटवे पर किए गए भारतीय रुपये (INR) लेनदेन के केस में कोई विदेशी मुद्रा मार्कअप फ़ीस भी लगाई जाएगी।

विवादों की मध्यस्थता और समाधान

1. भुगतान के लिए बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर के ज़रिए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से प्राप्त कोई भी मांग, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि कार्डधारकों द्वारा शुल्क का भुगतान उचित रूप से किया गया है, जब तक कि एज फ़ेडरल कार्ड खो नहीं जाता है, चोरी हो जाता है या धोखाधड़ी से दुरुपयोग नहीं किया जाता है और ऊपर खंड VIII में प्रदान किए गए के अनुसार रिपोर्ट किया जाता है - जिसे उन्हें साबित करने की आवश्यकता होगी।
2. किसी भी शुल्क रसीद पर कार्डधारक के हस्ताक्षर या उनके एज-फ़ेडरल कार्ड PIN, जुपिटर ऐप PIN, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर भेजे गए वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) के इनपुट द्वारा लेनदेन का प्रमाणीकरण या लेनदेन

पुष्टिकरण अधिसूचना को स्वाइप करने का इशारा करना यानी 'भुगतान करने के लिए स्वाइप करें', या वीज़ा द्वारा परिभाषित वीज़ा सेफ क्लिक/वन-क्लिक प्रक्रिया का उपयोग उनके द्वारा उठाए गए दायित्व का निर्णायक सबूत होगा।

3. एज-फ़ेडरल कार्ड PIN का उपयोग करके ग्राहक सेवा या जुपिटर ऐप के माध्यम से प्राप्त किसी भी सुविधा के मामले में, जुपिटर ऐप PIN या कार्डधारक ID इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि कार्डधारक ने लेनदेन किया है। बैंक और/ या बैंक द्वारा प्राधिकृत जुपिटर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारकों को खरीदे गए सामान या सेवाएं प्राप्त हो गई हैं।
4. यदि कथन में दिखाए गए किसी शुल्क से कार्डधारक असहमत हैं, तो कृपया जुपिटर को कथन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बताएं, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि कथन में दर्शाए गए सभी शुल्क सही हैं।
5. इन उपस्थित से दिखने वाले या कोई भी तरीके से इनसे संबंधित या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के संबंध में या इसके अंतर्गत पक्षों के अधिकार, दायित्व और देनदारियों के संबंध में सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार आपके और जुपिटर द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे और उसके द्वारा निपटाए जाएंगे। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मौत, अनिच्छा, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या अयोग्यता की स्थिति में, पक्ष सामूहिक रूप से सद्भाव के आधार पर एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। मध्यस्थ को निर्णय के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही मुंबई में आयोजित की जाएगी।

विवादों का समझौता

सभी विवाद भारत, मुंबई में सक्षम अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, और भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। इसके अंतर्गत कोई भी मध्यस्थता कार्यवाही गोपनीय आधार पर आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पक्षकार किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में तेज़ी लाने के लिए (जितना संभव हो सके) सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा।